विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1220 माननीय विधायक श्री इंदर सिंह परमार

16-7-19 के भाग "क" एवं "ख" का परिशिष्ट– "अ"

कार्यवाही टीप

जिला शाजापुर अंतर्गत कालापीपल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को वर्ष 2017–18 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोलायकलां हेतु एम्बुलेंस वाहन क्रय किये जाने हेतु विधायक निधि से राशि रुपये 650000/– (छः लाख पचास हजार) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर को प्रदाय की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर द्वारा भंडार क्रय का पालन करते हुये नियमानुसार एक लाख से अधिक की राशि के क्रय की प्रक्रिया होने के कारण शासन के GEM पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से एम्बुलेंस क्रय हेतु प्रक्रिया कर टाटा मोटर्स की टाटा गोल्ड एम्बुलेंस क्रय किये जाने हेतु क्रयादेश जारी किये गये, किन्तु GEM द्वारा कुछ माह पश्चात उक्त क्रय आदेश को निरस्त करते हुए एम्बुलेंस प्रदाय करने में असहमती व्यक्त की गई। इसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर द्वारा पुनः दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन निविदा जारी की गई। निविदा में कोई भी फर्म द्वारा भाग नहीं लेने के कारण निविदा कार्य असफल रहा तदोपरांत तत्कालीन कलेक्टर शाजापुर के समक्ष पुनः एम्बुलेंस वाहन क्रय प्रक्रिया हेतु नस्ती प्रस्तुत की गई। तत्कालीन कलेक्टर शाजापुर द्वारा एम्बुलेंस क्रय प्रक्रिया आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात क्रय प्रक्रिया करने संबंधित निर्देश दिये गये। वर्तमान में एम्बुलेंस क्रय की प्रक्रिया प्रचलन में है।

उप संचालक (परिवहन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,
मध्यप्रदेश